कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा–माध्य/मा–स/22461/स्वच्छ भारत/2014–19/166 दिनांक :– 28/02/2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय–माध्यमिक शिक्षा।

विषय :– राज्य में दिनांक : 01–15 मार्च, 2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– उपसचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक : एफ 2( )/बाल आयोग/स्वच्छता पखवाडा/19–20/6828 दिनांक : 28.02.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संलग्न प्रियांक कानूनगों, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्रांक दिनांक : 18.02.2019 के अनुसार राज्य में दिनांक : 01–15 मार्च, 2019 तक **"स्वच्छता पखवाड़ा"** मनाये जाने से संबंधित प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार जन मानस में स्वच्छता पखवाड़े के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक तौर पर बड़े पैमाने पर गतिविधियों का आयोजन किये जाने के साथ ही इन गतिविधियों/कार्यक्रमों में विशेष रूप से बच्चों के उन स्थानों को शामिल किए जाने का उल्लेख किया गया है जहां बच्चों का आवागमन/एकत्रीकरण अधिक हो। उक्त अवधि के दौरान प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पखवाड़े के सफल आयोजन हेतु संबंधित को आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्रदान करें।

संलग्न :– यथोपरि।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उपसचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

E:\Genral letter.docx